न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय,(महिलाओ के विरूद्ध अपराध), बदायूँ।

परिवाद संख्या–23645/2022

अंजली बनाम शहंशाह आदि

थाना–सिविललाइंस, जिला बदायूँ

दि. 27.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी के अधिवक्ता उपस्थित। परिवादिनी परिवाद मे बयान अंतर्गत धारा 200 दर्ज कराने के पश्चात उपस्थित नहीं आयी है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय समक्ष लिखित मे यह कथन किया गया कि वर्तमान मुकदमे के सम्बन्ध मे परिवादिनी द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप वहां पर अभियोग संख्या 636/2022 पंजीकृत हो गया है। अर्थात परिवादिनी वर्तमान परिवाद को अग्रसित करना नहीं चाहती। तदानुसार परिवाद खारिज कर दिया जाये। अर्थात वर्तमान परिवाद साक्ष्य के अभाव मे व बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आराधना सिंह)
सिविल जज (जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), बदायूँ

Digitally signed by ARADHNA SINGH
Date: 2023.01.31 11:25:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court